

शिक्षण संस्थान फंडिंग के लिए दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट

यह सूची महाराष्ट्र के उन स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों के लिए है जो सार्वजनिक ट्रस्ट, सोसाइटी या Section 8 कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं और भवन, बसों, उपकरणों या वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रहे हैं। ऋणदाताओं की ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए अपने संस्थान पर लागू दस्तावेज़ साथ लाएँ।

Biz Corp Solutions · bizcorps.in/hi/checklists/education-funding/ · 98233 33124

01 ट्रस्ट या सोसाइटी के रिकॉर्ड

- ☐ ट्रस्ट डीड, या सोसाइटी का मेमोरेंडम और नियमावली
ऋणदाता देखते हैं कि लोन लेने और प्रॉपर्टी गिरवी रखने का स्पष्ट अधिकार है या नहीं।
- ☐ सार्वजनिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और लागू हो तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन
- ☐ ट्रस्टियों की मौजूदा सूची, स्वीकृत चेंज रिपोर्ट के साथ
Section 22 के तहत बदलाव 90 दिनों में चैरिटी कमिश्नर को बताने होते हैं।
- ☐ लोन, सिक्योरिटी और हस्ताक्षरकर्ताओं को मंजूरी देने वाला ट्रस्टियों का प्रस्ताव
- ☐ ट्रस्टियों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का PAN और Aadhaar
- ☐ Section 8 कंपनियों के लिए: इनकॉर्पोरेशन दस्तावेज़ और बोर्ड प्रस्ताव

02 चैरिटी कमिश्नर और इनकम टैक्स

- ☐ Section 36A(3) के तहत लोन के लिए चैरिटी कमिश्नर की पूर्व मंजूरी
आम तौर पर ऋणदाता की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद आवेदन किया जाता है।
- ☐ चैरिटी कमिश्नर के पास दाखिल ऑडिटेड खाते
- ☐ Section 332 के तहत इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन (पहले 12A/12AB)
Income-tax Act, 2025 का Section 332; पुराने कानून के तहत मिले रजिस्ट्रेशन जारी रहते हैं।
- ☐ ट्रस्ट या सोसाइटी के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)

03 मान्यता और मंजूरियाँ

- ☐ स्कूल की मान्यता और बोर्ड एफ़िलिएशन सर्टिफिकेट
- ☐ कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटी एफ़िलिएशन और नियामक मंजूरियाँ
उदाहरण के लिए, तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए AICTE मंजूरी।
- ☐ फ़ीस मंजूरी के रिकॉर्ड
स्कूलों के लिए अभिभावक-शिक्षक संघ की कार्यकारी समिति का निर्णय; प्रोफ़ेशनल कॉलेजों के लिए फ़ीस नियामक प्राधिकरण की मंजूरी।

04 छात्र और फ़ीस

- ☐ हाल के वर्षों का कक्षावार या कोर्सवार नामांकन
- ☐ फ़ीस संरचना और फ़ीस वसूली के रिकॉर्ड
- ☐ बकाया फ़ीस और मिलने वाली RTE प्रतिपूर्ति

05 वित्तीय विवरण और मौजूदा लोन

- ☐ पिछले 3 वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय विवरण
- ☐ संस्थान के हाल के बैंक स्टेटमेंट
- ☐ मौजूदा लोन के सैंक्शन लेटर और स्टेटमेंट

06 प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी

- ☐ आर्किटेक्ट या इंजीनियर से प्रोजेक्ट लागत का अनुमान
- ☐ स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और बिल्डिंग परमिशन
- ☐ ज़मीन की टाइटल डीड, या रजिस्टर्ड लीज़ डीड
- ☐ CIDCO, MIDC या सरकारी लीज़होल्ड ज़मीन के लिए लेसर की मॉर्गेज परमिशन
- ☐ लोन से ली जाने वाली बसों या उपकरणों के कोटेशन

ध्यान देने योग्य बातें

- Section 36A(3) मंजूरी में लगने वाला समय योजना में रखें; ऋणदाता की अस्थायी मंजूरी के बाद कानून 15 दिनों में निर्णय को प्राथमिकता देता है, पर इसकी गारंटी नहीं है।
- सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाला हर ट्रस्टी ट्रस्ट के रजिस्टर्ड रिकॉर्ड के अनुसार वैध रूप से पद पर है।
- स्व-सत्यापित कॉपियाँ तैयार रखें, और ऋणदाता के सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज़ भी।
- बड़े लोन के लिए ऋणदाता फ़ीस वसूली की एस्करो व्यवस्था जैसी और शर्तें माँग सकते हैं।
- ऋणदाता, लोन राशि और आपकी प्रोफ़ाइल के अनुसार ज़रूरी दस्तावेज़ अलग हो सकते हैं; ऋणदाता इससे ज़्यादा या कम दस्तावेज़ माँग सकता है। इस सूची को शुरुआत के रूप में इस्तेमाल करें और अंतिम सूची ऋणदाता से पक्की करें।

स्रोत

1. [L.A. Bill No. VI of 2016 — further to amend the Maharashtra Public Trusts Act \(Section 36A\(3\) proviso\)](#) — Maharashtra Legislature Secretariat (via PRS Legislative Research)

2. [Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institutions \(Regulation of Admission and Fees\) Act, 2015](#) — Government of Maharashtra (via PRS Legislative Research)
3. [Baroda Vidyasthali Loan](#) — Bank of Baroda

अंतिम समीक्षा: 5 अक्टूबर 2026।